न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 469/2025 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कौशलाराम पुत्र अर्जुनराम 2. जेठीदेवी पत्नी अर्जुनराम 3. नेनाराम पुत्र देराजराम 4. रामाराम पुत्र देराजराम जाति जाट, निवासी कपुरड़ी हाल निवासी तिलक नगर, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर		1. जमाल पुत्र पनू 2. मूसाखान पुत्र पनू 3. रहिमखान पुत्र पनू 4. सुमारखान पुत्र पनू 5. मखणी पत्नी कमाल खान 6. रहमानखान पुत्र कमाल खान 7. रेशमा पत्नी अरादीन 8. रोशनखान पुत्र अरादीन 9. लतीफखान पुत्र अरादीन 10. हनीफखान पुत्र अरादीन 11. हसनखान पुत्र अरादीन जाति मुसलमान, निवासी मेहरों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 12. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक दहिवा 13. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 14. नारायणसिंह पुत्र कुशलसिंह जाति राजपुत, निवासी मेहरों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.01.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा मेहरों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1219 रकबा 17.3448 हैक्टेयर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है तथा रहवासी ढाणी व मवेशियों के बाड़े बने हुए है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1390/1196, 1391/1196 रकबा क्रमशः 5.8437, 11.6873 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण [illegible] को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु [illegible] का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible] को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट [illegible] प्राप्त की गई। विप्रार्थी[illegible] बाद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनु[illegible] प्रार्थीगण के आवागमन [illegible] विकल्प उपलब्ध है, जो संलग्न नक्शा अनुसार क्रमशः ए से बी तथा ए से सी दर्शाये गये है। प्रस्तावित रास्ते बिन्दु संख्या ए से सी हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1390/1196 रकबा 5.8437 हैक्टेयर में से रकबा 0.1035 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 7 से 11 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1391/1196 रकबा 11.6873 हैक्टेयर में से रकबा 0.1053 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 14 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1294/1195 रकबा 11.8330 हैक्टेयर में से रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 09:54:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

0.0.0018 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। बिन्दु संख्या ए से बी हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1390/1196 रकबा 5.8437 हैक्टेयर में से रकबा 0.1260 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 7 से 11 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1391/1196 रकबा 11.6873 हैक्टेयर में से रकबा 0.0018 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 14 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1294/1195 रकबा 11.8330 हैक्टेयर में से रकबा 0.1278 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा है। उक्त दोनों विकल्पों में बिन्दु संख्या ए से सी वाला प्रस्तावित रास्ता निकटतम है परतु मौके पर उंचा टीला स्थित है। बिन्दु संख्या ए से बी वाला प्रस्तावित रास्ता सुगम है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु बिन्दु संख्या ए से सी तक कुल 0.2106 हैक्टेयर भूमि का उपयोग तथा बिन्दु संख्या ए से बी तक कुल 0.2556 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के सलग्न नक्शा अनुसार बिन्दु संख्या ए से बी तक प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम, लघुतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार बिन्दु संख्या ए से बी तक आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आवागमन हेतु दो विकल्प उपलब्ध है, जो संलग्न नक्शा अनुसार क्रमशः ए से बी तथा ए से सी दर्शाये गये है। प्रस्तावित रास्ते बिन्दु संख्या ए से सी हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1390/1196 रकबा 5.8437 हैक्टेयर में से रकबा 0.1035 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 7 से 11 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1391/1196 रकबा 11.6873 हैक्टेयर में से रकबा 0.1053 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 14 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1294/1195 रकबा 11.8330 हैक्टेयर में से रकबा 0.0.0018 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। बिन्दु संख्या ए से बी हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1390/1196 रकबा 5.8437 हैक्टेयर में से रकबा 0.1260 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 7 से 11 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1391/1196 रकबा 11.6873 हैक्टेयर में से रकबा 0.0018 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 14 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1294/1195 रकबा 11.8330 हैक्टेयर में से रकबा 0.1278 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा है। उक्त दोनों विकल्पों में बिन्दु संख्या ए से सी वाला प्रस्तावित रास्ता निकटतम है परंतु मौके पर उंचा टीला स्थित है। बिन्दु संख्या ए से बी वाला प्रस्तावित रास्ता सुगम है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु बिन्दु संख्या ए से सी तक कुल 0.2106 हैक्टेयर भूमि का उपयोग तथा बिन्दु संख्या ए से बी तक कुल 0.2556 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार बिन्दु संसख्या ए से बी तक प्रस्तावित रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। साथ ही तहसीलदार मौका रिपोर्ट में भी अन्य विकल्प नहीं होना दर्शाया गया है। चूकि प्रस्तावित रास्ता बिन्दु संख्या ए से सी निकटतम है किन्तु मौके पर उंचा टीला बना हुआ होने से दुर्गम होने से अन्य विकल्प बिन्दु संख्या ए से बी तक रास्ता सुगम विकल्प होने तथा प्रार्थीगण की आत्यांतिक आवश्यकता होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी [illegible] दुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण [illegible] जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त [illegible] बिन्दु संख्या ए से बी तक प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 09:54:33 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कि[illegible] जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा मेहरों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1219 रकबा 17.3448 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार बिन्दु संख्या ए से बी तक प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1390/1196 रकबा 5.8437 हैक्टेयर में से रकबा 0.1260 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 7 से 11 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1391/1196 रकबा 11.6873 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0018 हैक्टेयर तथा

उपखण्ड अधिकारी
शिव

विप्रार्थी संख्या 14 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1294/1195 रकबा 11.8330 हैक्टेयर में से रकबा 0.1278 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप मे अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

आदेश आज दिनांक 30.01.2026 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 09:54:33 IST
Reason: SelfAttested